क्रम-संख्या–123 (क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 23 जुलाई, 2021

श्रावण 1, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन अनुभाग

———

संख्या 419/तीन-2021-5(12)-2018

लखनऊ, 23 जुलाई, 2021

अधिसूचना

सा0प0नि0–51

उत्तर प्रदेश राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग का प्रतिषेध) अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2019) की धारा-11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल प्राधिकारिक मुद्रा में और लेखन सामग्री पर तथा उसके अभिकल्प पर उत्तर प्रदेश राज्य संप्रतीक के प्रयोग को विनियमित करने वाली निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं :-

उत्तर प्रदेश राज्य संप्रतीक (प्रयोग का विनियमन) नियमावली, 2021

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य संप्रतीक (प्रयोग का विनियम) नियमावली, 2021 कही जायेगी।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2–जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में-

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग का प्रतिषेध) अधिनियम, 2019 से है ;

(ख) "संप्रतीक" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) में यथापरिभाषित उत्तर प्रदेश राज्य संप्रतीक से है ;

(ग) "अनुसूची" का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न अनुसूची से है ;

लेखन सामग्री पर प्रयोग

3–(1) शासकीय या अर्ध-शासकीय लेखन सामग्री पर प्रतीकों का प्रयोग करना, उक्त नियमावली के अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों तक निर्बंधित रहेगा।

(2) संप्रतीक, जब शासकीय या अर्ध-शासकीय लेखन सामग्री पर मुद्रित या समुद्भृत किया जाय, ऐसी लेखन सामग्री के शीर्ष भाग के मध्य में सुस्पष्ट रूप से उपदर्शित होगा।

यानों पर संप्रदर्शन

4–यानों पर संप्रतीक का प्रयोग उक्त नियमावली की अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों तक निर्बंधित होगा।

सरकारी भवनों पर सप्रदर्शन

5–संप्रतीक अतिमहत्वपूर्ण सरकारी भवनों, यथा- राज भवन, विधान मंडल भवन, उच्च न्यायालय और राज्य सचिवालय भवन पर सप्रदर्शित किया जा सकेगा।

विभिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग

6–इस नियमावली के उपबंधों के अध्यधीन, संप्रतीक का प्रयोग उक्त नियमावली की अनुसूची-तीन में यथा विनिर्दिष्ट अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा।

संप्रतीक के प्रयोग पर निर्बंधन

7–(1) इस नियमावली के अधीन प्राधिकृत व्यक्तियों से भिन्न कोई व्यक्ति (जिसमें सरकार के पूर्व कृत्यकारी यथा पूर्व मंत्री, विधान परिषद के पूर्व सदस्य, पूर्व न्यायाधीश और सेवानिवृत सरकारी पदधारी सम्मिलित हैं) किसी भी रीति में संप्रतीक का प्रयोग नहीं करेगा।

(2) इस नियमावली के अधीन प्राधिकृत से भिन्न कोई आयोग या समिति, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, बैंक, नगरपालिका परिषद, पंचायतराज संस्था, परिषद गैर-सरकारी संगठन और विश्वविद्यालय किसी भी रीति में संप्रतीक का प्रयोग नहीं करेंगे।

(3) कोई संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे निगमित हो या न हो, किसी भी रीति में अपने लेटरहेडों, ब्रोशरों, आसनों, कलगी, बैज, हाउस फ्लैगों पर या किसी अन्य प्रयोजन के लिए संप्रतीक का प्रयोग नहीं करेगा।

(4) लेटर हेडों, परिचय कार्डों और बधाई कार्डों सहित लेखन सामग्री, जिनपर संप्रतीक मुद्रित या समुद्भृत हो, में इस नियमावली के अधीन लेखन सामग्री पर संप्रतीक का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति के नाम के साथ अधिवक्ता, सम्पादक, चार्टर्ड अकाउन्टेंट जैसे शब्द अंकित नहीं किये जायेंगे।

संप्रतीक के प्रयोग को निर्बंधित करने वाले मामले और शर्तें

8–कोई व्यक्ति, किसी व्यापार, कारबार, आजीविका या वृत्ति के प्रयोजन के लिए या किसी पेटेंट के शीर्षक में या किसी व्यापार चिन्ह या अभिकल्प में संप्रतीक या उससे मिलती-जुलती नकल का प्रयोग नहीं करेगा या उसका प्रयोग करना जारी नहीं रखेगा:

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति या व्यक्तिसमूह, संगम, और निगमित निकाय, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से उसके द्वारा आयोजित किसी समारोह या किसी मंत्रालय या राज्य सरकार के विभाग के साथ संयुक्त रूप में कृत प्रकाशन के संबंध में संप्रतीक का प्रयोग कर सकेगा।

संप्रतीक के अभिकल्प की उपलब्धता

9–(1) संप्रतीक के फोटो ग्राफिक अभिकल्प, निदेशक, मुद्रण और लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पास उपलब्ध हैं और उनसे प्राप्त किए जा सकते हैं।

(2) संप्रतीक के मानक रंजकों का नमूना, कार्यालय, निदेशक, मुद्रण और लेखन सामग्री, प्रयागराज से प्राप्त किया जा सकता है।

अनुसूची- एक

(नियम 3 देखें)

सांविधानिक या सांविधिक प्राधिकारी, राज्य सरकार के विभाग और अन्य सरकारी कृत्यकारी, जो संप्रतीक का प्रयोग कर सकेंगे :–

(1) राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री;

(2) राज्य विधान मंडल का कार्यालय और उसके अधिकारी;

(3) न्यायधीश और न्यायपालिका के कार्यालय और उसके अधिकारी;

(4) राज्य विधान मंडल के सदस्य;

(5) राज्य योजना आयोग का कार्यालय और उसके अधिकारी;

(6) उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और उसके सदस्य और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कार्यालय और उसके अधिकारी;

(7) उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और सदस्य और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का कार्यालय और उसके अधिकारी;

(8) राज्य सरकार के विभाग और कार्यालय तथा उनके अधिकारी;

(9) राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा गठित या स्थापित अधिकरण, आयोग और प्राधिकरण।

स्पष्टीकरण :- इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए, पद 'अधिकारी' का तात्पर्य राज्य सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी से है।

अनुसूची-दो

(नियम 4 देखें)

भाग-1

सांविधानिक प्राधिकारी और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी, जो अपनी कारों पर संप्रतीक संप्रदर्शित कर सकेंगे :–

(एक) राज्यपाल भवन की कार, जब निम्नलिखित उच्च पदस्थ अधिकारी या उनके पति या पत्नी ऐसे यानों द्वारा यात्रा कर रहे हों,–

(क) राज्यपाल;

(ख) राज्यपाल की कार के पीछे चलने वाली अतिरिक्त कार।

(दो) अन्य के लिये,–

(क) राज्य अतिथि;

(ख) राज्य सरकार और न्यायपालिका की शासकीय कारें।

भाग-2

प्राधिकारी, जो अपनी कारों पर तिकोनी धातु की पट्टिका पर उत्तर प्रदेश राज्य संप्रतीक संप्रदर्शित कर सकेंगे:–

(एक) मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्रियों, राज्य विधान सभा के अध्यक्ष और राज्य विधान परिषद के सभापति की कारें, जब वे उत्तर प्रदेश में कहीं भी यात्रा कर रहे हों;

(दो) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और न्यायाधीशों की कारें;

(तीन) मंत्रियों की कारें, जब वे राज्य में यात्रा कर रहें हों।

अनुसूची-तीन

(नियम 6 देखें)

अन्य प्रयोजन, जिनके लिए संप्रतीक प्रयोग किया जा सकेगा,–

(एक) विधि सम्मत प्रतिनिधित्व करने के प्रयोजनार्थ अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट कृत्यकारियों या अधिकारियों के परिचय कार्ड;

(दो) विधि सम्मत प्रतिनिधित्व करने के प्रयोजनार्थ अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट कृत्यकारियों या अधिकारियों द्वारा भेजे गए बधाई कार्ड;

(तीन) सरकार के शासकीय प्रकाशन;

(चार) सरकार द्वारा निर्मित फिल्में एवं वृत्त चित्र;

(पाँच) सरकारी विज्ञापन, बैनर, पुस्तिकाएं, बोर्ड, आदि;

(छः) यथा आवश्यक माने गये उपान्तरणों सहित कलगी, फ्लैग, आसन;

(सात) सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, अनुज्ञप्तियां, परमिट आदि;

(आठ) सरकार की वेबसाइटें;

(नौ) सरकार द्वारा संस्थित मेडल, प्रमाण-पत्र और सनद;

(दस) सरकारी समारोह हेतु निमंत्रण पत्र;

(ग्यारह) राजभवन, राजनिवासों तथा राज्य के बाहर अवस्थित सरकारी केन्द्रों पर प्रयुक्त प्रतिनिधित्व संबंधी कांच के बर्तन, चीनी के बर्तन व छुरी कांटे;

(बारह) निम्नलिखित की वर्दियों पर यथा आवश्यक माने गये उपान्तरणों सहित बैज, कालर, बटन आदि :-

(क) राज्य के सशस्त्र बलों के कमीशन प्राप्त या राजपत्रित अधिकारीगण;

(ख) राज्य सरकार के वर्दी वाली सेवाओं के राजपत्रित अधिकारीगण;

(ग) राज भवन और राज्य क्षेत्र के बाहर के राज्य पदों के यथा अपेक्षित उपान्तरण सहित प्राधिकृत कर्मचारिवृंद;

(तेरह) विद्यालय की पाठ्य-पुस्तकें, इतिहास, कला या संस्कृति की पुस्तकें या संप्रतीक के उद्गम, महत्त्व या अंगीकरण को स्पष्ट करने या उसका दृष्टांत देने के प्रयोजन के लिए किसी अध्याय, धारा आदि के पाठ के भाग स्वरूप कोई नियतकालिक पत्रिका:

परन्तु यह कि संप्रतीक का प्रयोग, ऐसे प्रकाशन के मुख्य पृष्ठ, शीर्षक या आवरण पर नहीं किया जाएगा जिससे कि यह धारणा बनाई जा सके कि यह सरकारी प्रकाशन है।

स्पष्टीकरण :- इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से है।

आज्ञा से,
जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 419/III-2021-5(12)-2018, dated July 23, 2021 :

No. 419/III-2021-5(12)-2018

Dated Lucknow, July 23, 2021

In exercise of the powers conferred by section 11 of the Uttar Pradesh State Emblem (Prohibition of Improper Use) Act, 2019 (U.P. Act no. 15 of 2019), the Governor is pleased to make the following rules regulating the use of the State Emblem of Uttar Pradesh in official seal and on stationery and its design.

THE STATE EMBLEM OF UTTAR PRADESH (REGULATION OF USE) RULES, 2021

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the State Emblem of Uttar Pradesh (Regulation of Use) Rules, 2021.

(2) They shall come into force from the date of publication in the Official *Gazette*.

Definitions

2. In these rules unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Uttar Pradesh State Emblem (Prohibition of Improper Use) Act, 2019;

(b) "Emblem" means the State Emblem of Uttar Pradesh as defined in clause (b) of section 2 of the Act;

(c) "Schedule" means the Schedule appended to these rules.

Use on stationery

3. (1) The use of characters on official or demi-official stationery shall be restricted to the authorities specified in the Schedule-I of the said Rules.

(2) The emblem, when printed or embossed on official or demi-official stationery, shall appear prominently on the middle of the top of such stationary.

Display on vehicles

4. The use of the emblem on vehicles shall be restricted to the authorities specified in Schedule-II of the said rules.

Display on Government Buildings

5. The emblem may be displayed on very important Government buildings, like, the Governor's House, the Legislature House, the High Court and the State Secretariat Building.

Use for various other purposes

6. Subject to the provisions of these rules, the emblem may be used for other purposes as specified in Schedule-III of the said rules.

Restrictions on use of the emblem

7. (1) No person (including former functionaries of the Government, like, former Ministers, former Members of the Legislative Council, former judges and retired Government officials), other than those authorized under these rules, shall use the emblem in any manner.

(2) No Commission or Committee, Public Sector Undertaking, Bank, Municipal Council, Panchayat Raj Institution, Parishad, Non-Government Organization, University, other than those authorized under these rules, shall use the emblem in any manner.

(3) No association or body of persons, whether incorporated or not, shall use the emblem on their letterheads, brochures, seats, crests, badges, house flags or for any other purpose in any manner.

(4) The stationery, including letterheads, visiting cards and greetings cards, with emblem printed or embossed on it, shall not bear words, like Advocate, Editor, Chartered Accountant with the name of the person authorized to use the emblem under these rules on the stationary.

Cases and conditions restricting the use of the emblem

8. No person shall use or continue to use the emblem or any colourable imitation thereof for the purpose of any trade, business, calling or profession or in the title of any patent, or in any trade mark or design :

Provided that a person or a group of persons, association, body corporate may use the emblem in connection with an event organized by it or a publication brought out jointly with a Ministry or Department of the State Government, with the prior approval of the State Government.

Availability of design of the emblem

9. (1) Photographic designs of the emblem are available with, and can be obtained from the Director, Printing and Stationery, Uttar Pradesh, Prayagraj.

(2) Sample of standard dyes of the emblem can be obtained from the Office of the Director, Printing and Stationery, Uttar Pradesh, Prayagraj.

SCHEDULE-I

(*See* rule 3)

Constitutional or Statutory Authorities, Departments of the State Government and other Government Functionaries which may use the Emblem–

(1) Governor, Chief Minister and State Ministers;

(2) Office and the officers of the State Legislature;

(3) Judges and office and officers of the Judiciary;

(4) Members of the State Legislature;

(5) Office and officers of the State Planning Commission;

(6) Chairperson and Members of the Uttar Pradesh Public Service Commission and the office and officers of the Uttar Pradesh Public Service Commission;

(7) Chairperson and Members of the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission, and the office and officers of the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission;

(8) Departments and offices of the State Government and their officers;

(9) Tribunals, Commissions and authorities constituted or established by an Act of the State Legislature.

Explanation: - For the purpose of this Schedule, the expression 'officer' shall mean a Gazetted officer of the State Government.

SCHEDULE-II

(*See* rule 4)

PART-1

Constitutional Authorities and other Dignitaries which may display Emblem on their cars–

(i) For the Governor House when the following dignitaries or their spouses are traveling by such vehicles:

(A) Governor,

(B) Additional car running behind the Governor's car.

(ii) For others:

(A) State guests,

(B) Official cars of the State Government and Judiciary.

PART-2

Authorities which may display the State Emblem of Uttar Pradesh on metal plaque on their cars–

(i) Cars of the Chief Minister and Ministers of the State, Speaker of the State Legislative Assembly, Chairperson of the State Legislative Council when they are travelling anywhere in Uttar Pradesh;

(ii) Cars of the Chief Justice and Judges of the High Court;

(iii) Cars of the Ministers when they are travelling in the State.

SCHEDULE-III
(*See* rule 6)

Other purposes for which the Emblem may be used–

(i) Visiting Cards of the functionaries or officers specified in Schedule-I for legitimate representational purpose;

(ii) Greeting Cards sent by functionaries or officers specified in Schedule-I for legitimate representational purpose;

(iii) Official publications of the Government;

(iv) Films and documentaries produced by the Government;

(v) Government advertisements, banners, pamphlets, boards *etc;*

(vi) Crests, flags, seats with such modifications as considered necessary;

(vii) Identity cards, licenses, permits *etc.*, issued by the Government;

(viii) Websites of the Government;

(ix) Medals, certificates and Sanads instituted by the Government;

(x) Invitation cards for functions of the Government;

(xi) Representational glassware crockery and cutlery used at the Raj Bhavan, Raj Niwas and Government centers located outside the State;

(xii) Badges, collars, buttons *etc.*, with such modifications as are considered necessary, on the uniforms of :-

(a) Commissioned or Gazetted officers of the armed forces of the State;

(b) Gazetted officers of uniformed services of the State Government;

(c) Authorized staff of State posts outside the Governor's Building and the State Sector with such modification as required;

(xiii) School textbooks, books on history, art or culture or in any periodical as part of the text of a chapter, section *etc.*, for the purpose of explaining or illustrating the origin, significance or adoption of the Emblem:

Provided that the emblem shall not be used on the front page, title or cover of such publication so as to give an impression that it is a Government publication.

Explanation- For the purpose of this Schedule, "Government" means the State Government of Uttar Pradesh.

By order,
JITENDRA KUMAR,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 212 राजपत्र–2021–(420)–599 प्रतियाँ (क०/टी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 2,सा० प्रशासन–2021–(421)–500 प्रतियाँ (क०/टी०/ऑफसेट)।
212 RPH (Sa. Prashasan folder) 2021 data 4c